शिक्षा विभाग
बिहार सरकार
<u>आदेश</u>

पटना, दिन क 15/06/26.......

संचिका संख्या–07/मु०–01–112/2026–...1867.../ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–4548/2026 नाजमा खातुन बनाम ज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–02.04.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त वर्णित वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है:–

"...Considering the aforesaid submissions of the parties, this (ourt directs the petitioner to file appropriate representation before the Director, Prima y Education, Department of Education within a period of four weeks from today, iving reference to the representation earlier filed, if any, and, on filing of such repre entation along with a copy of this order, the same shall be adjudicated within a perio of eight weeks from the date of filing of the such representation by the petitioner...."

3. उक्त के क्रम में विभागीय पत्रांक–1684 दिनांक–20.05.2026 द्वा दिनांक–25.05. 2026 को सुनवाई निर्धारित किया गया।

4. सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती नाजमा खातुन द्वारा अवगत क ाया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या–25/2024 के माध्यम से उनका चयन प्रधान शिक्षक के पद पर हुआ। चयनोपरांत जिला आवंटन हेतु उनके द्वारा तीन विकल्प के रूप में क्रमशः 1. पटना 2. भोजपुर एवं 3. जहानाबान का चयन किया गया था उन्हें दूसरा विकल्प भोजपुर आवंटित हुआ। जिला आवंटन के पश्चात् वर्तमान में वे तरार प्रखण्ड अंतर्गत प्रा०वि० अनुसूचित जाति बड़का गाँव में पदस्थापित होकर कार्यरत है। वार्द श्रीमती नाजमा खातुन द्वारा ई–शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से दिनांक–04.09.2025 को जिला भोजपुर से पटना में स्थानांतरण हेतु ग्रीवांस समर्पित किया गया। वादी का दावा है कि उक्त ग्रीवांस के उपरांत उनके समरूप 167 शिक्षकों का द्वितीय चरण में पुनः जिला आवंटन हुआ है, परन्तु उनके ग्रीवांस पर विचार नहीं किया गया।

5. अंकनीय है कि सी०डब्लू०जे०सी० सं०–11252/2025 प्रीति कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–30.08.2025 को रित आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में निम्न निर्णय लिया गया:–

- सी०डब्लू०जे०सी० सं०–11252/2025 प्रीति कुमारी एवं अन्य बनाम रा ज्य सरकार एवं अन्य में संबंधित वादी द्वारा सफलतापूर्वक काउंसलिंग पूर्ण कराने ले ऐसे वादी, जिन्होने योगदान नहीं किया है, के द्वारा दिनांक–01.09.2025 से 0.09.2025 के दौरान अपने ई–शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से तीन–तीन जिलों का कल्प अपलोड किया जा रहा है।
- बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा प्रधान शिक्षक के पद हेतु अनुशंसित एवं सफलतापूर्वक काउंसलिंग पूर्ण कराने वाले वैसे जिन्होंने विद्यालय में योगदान नहीं किया/संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर दिनांक–01.09.2 25 से 10.09. 2025 तक Grievance दर्ज करने का प्रावधान किया गया है।

2/

उपरोक्त के आलोक में बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों पर, यदि संबंधित प्रमण्डलों/जिलों में रिक्तियाँ उपलब्ध हो, तो आवेदकों द्वारा दिये गये विकल्प तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा ज़ारी मेधा क्रमांक के आलोक में प्रमण्डल/जिला एवं विद्यालय का आवंटन किया जाए।

5. उपरोक्त के आलोक में प्राप्त Grievance का निष्पादन करते हुए विभागीय पत्रांक–198 दिनांक–16.01.2026 द्वारा Merit-Cum-Choice के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर जिला का आवंटन की कार्रवाई की गई।

6. उक्त Grievance का आधार पदस्थापन था ना की स्थानांतरण। चूंकि वादी श्रीमती नाजमा खातुन द्वारा स्थानांतरण हेतु Grievance समर्पित किया गया था जिसके कारण उन्हें पटना जिला आवंटित नहीं किया जा सका। वर्तमान में विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण संबंधी नीति निर्धारण प्रक्रियाधीन है। तदालोक में उक्त स्थानांतरण नीति निर्धारण के पश्चात् वादी द्वारा समर्पित स्थानांतरण आवेदन पर नीति में निहित प्रावधानों के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

अतएव उक्त अभिमत के साथ मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकेर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक–07/मु०–01–112/2026 1867 पटना, दिनांक 15/06/26

प्रतिलिपिः– Nazma Khatoon daughter of Mohammad Salimuddin and Wife of Iqbal Siddiqui, Resident of Quarter No.- 07, Road No. 9, B.V College Campus, Patna at present residing at Mohalla- Minhaj Nagar, P.S.- Phulwarisharif, District- Patna.

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु०–01–112/2026 1867 पटना, दिनांक 15/06/26

प्रतिलिपिः– जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भोजपुर एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु०–01–112/2026 1867 पटना, दिनांक 15/06/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।